निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 अग्रहायण 1931 (श0)
(सं0 पटना 593) पटना, मंगलवार, 24 नवम्बर 2009

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

———————

अधिसूचना

17 नवम्बर 2009

सं0 मं०मं०–01/आर०–31/2009–2094––भारत संविधान के अनुच्छेद – 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं––

संशोधन

कार्यपालिका नियमावली 1979 की प्रथम अनुसूची में संशोधन––

(*i*). (क) उक्त नियमावली (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 7 में प्रयुक्त शब्द ''कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ''**शब्द**'' सामान्य प्रशासन विभाग'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

(ख) कार्यपालिका नियमावली (समय–समय पर यथा संशोधित) 1979 में जहाँ कहीं भी शब्द ''कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग'' पाये जाएँ, ''**शब्द**'' सामान्य प्रशासन विभाग'' द्वारा प्रतिस्थापित समझे जायेंगे।

(ग) उक्त नियमावली में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संशोधित नाम–सामान्य प्रशासन विभाग) में उसके कार्यों की विषय सूची में क्रमांक 32 के बाद निम्नलिखित क्रमांक जोड़े जायेंगे –

''33. प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से संबद्ध कार्यालयों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण।

34. जिला अतिथिगृहों इत्यादि का प्रशासी प्रभार।''

(*ii*). (क) कार्यपालिका नियमावली 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 40 में वर्णित ''राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग'' के कार्यों के वितरण की सूची के क्रमांक 8 एवं 12 एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं; साथ ही क्रमांक 10 में ''परिसदनों'' शब्द को विलोपित किया जाता है।

(2) कार्यपालिका नियमावली में उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रील 2010 के प्रभाव से लागू होंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
वाल्मीकि प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 593-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in